भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.826
23 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के समक्ष चुनौतियां

826. **श्री अतुल गर्गः**
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः
श्रीमती शांभवी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के समक्ष आ रहीं कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) आवेदनों की निर्वाध कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा उसे प्रसारित करने और संभावित उद्यमियों का मार्गदर्शन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आवेदकों को निरंतर सहायता प्रदान करने और स्वीकृति दरों में सुधार के लिए जिला संसाधन व्यक्तियों और प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सामान्य सुविधा केंद्रो, इनक्यूबेशन सहायता और बैंकों तथा तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी का विस्तार करने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं, और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत किए गए प्रयासों/पहलों से विशेषकर गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), राजमुंदरी (आंध्र प्रदेश), खगड़िया और समस्तीपुर (बिहार) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण को मजबूत करने, उनकी बाजार क्षमता को बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में किस प्रकार मदद मिलेगी?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना एक केंद्र प्रायोजित, मांग-आधारित योजना है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। कार्यान्वयन के दौरान, कतिपय चुनौतियों देखी गई है, जिनमें लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता, राज्य हिस्से की रिलीज में देरी, वैधानिक पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाइयां, सूक्ष्म उद्यमों क्षमता की कमी, अपर्याप्त प्रौद्योगिकी उन्नयन, परियोजना की तैयारी में अंतराल,

ब्रांडिंग और बाजार संपर्क, और खाद्य सुरक्षा अनुपालन के लिए दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने में चुनौतियां शामिल हैं।

(ख) और (ग) बैंक योग्य परियोजना प्रस्तावों की तैयारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को कवर करने वाली 190 मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श से निफ्टम-तंजावुर और निफ्टम-कुंदली द्वारा विकसित की गई हैं और पीएमएफएमई पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स (डीआरपी) को लाभार्थियों को परियोजना की पहचान, डीपीआर की तैयारी, ऑनलाइन आवेदन जमा करने, वैधानिक पंजीकरण प्राप्त करने, बैंकों के साथ समन्वय और औपचारिकीकरण सहायता समर्थन सहित सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। इस योजना ने मास्टर ट्रेनरों और जिला स्तरीय प्रशिक्षकों (डीएलटी) के माध्यम से एक मजबूत क्षमता-निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र भी विकसित किया है, जो लाभार्थियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और उत्पाद-विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे परियोजना की गुणवत्ता, ऋण तत्परता और ऋण स्वीकृति दरों में सुधार होता है।

(घ) इस योजना के अंतर्गत, साझा अवसंरचना सृजन के लिए सहायता 35% की दर से पात्र परियोजना लागत के साथ अधिकतम सीमा रु. 3 करोड़ के साथ किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और इसके महासंघों/सहकारी समितियों/सरकारी एजेंसियों को साझा अवसंरचना /मूल्य श्रृंखला/इन्क्यूबेशन सेंटर के साथ खाद्य प्रसंस्करण लाइन स्थापित करने के लिए प्रदान की जाती है। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य नोडल विभागों द्वारा प्रस्तावों को जुटाया और अनुमोदित किया जाता है। इन साझा सुविधाओं का उद्देश्य पूंजी लागत को कम करना और प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देना है।
यह योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए आधुनिक प्रसंस्करण, परीक्षण, पैकेजिंग, भंडारण और प्रशिक्षण अवसंरचना तक पहुंच में सुधार के लिए साझा इनक्यूबेशन केंद्र (सीआईसी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। सीआईसी की स्थापना के लिए प्रस्तावों की पहचान और सिफारिश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ओडीओपी और स्थानीय प्रसंस्करण आवश्यकताओं के आधार पर मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के लिए की जाती है। दिनांक 30 जून 2026 तक, 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 80 इन्क्यूबेशन केंद्रों को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, मास्टर ट्रेनरों को नामित करने, डीआरपी और डीएलटी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और समन्वय करने, प्रशिक्षण सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद और अनुकूलन करने, राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप डीपीआर को अनुकूलित करने, खाद्य प्रसंस्करण मामलों पर राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने और उद्यम औपचारिकता के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से लाभार्थी को सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों (एसएलटीआई) की पहचान की गई है।

इसके अलावा, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक योजना में भाग ले रहे हैं, और क्रेडिट फ्लो और कार्यान्वयन में सुधार के लिए राज्य सरकारों और बैंकिंग संस्थानों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) भी योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बैंकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें कर रहा है।

(ङ) पीएमएफएमई योजना प्रौद्योगिकी उन्नयन, साझा अवसंरचना, क्षमता निर्माण और बाजार संबंधों के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण का समर्थन करती है। यह योजना डीआरपी के माध्यम से उद्यम, एफएसएसएआई और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के अंतर्गत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे उद्यमों को संस्थागत वित्त, संगठित खुदरा और व्यापक बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलती है। यह योजना जिला-विशिष्ट मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करती है, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना और उन्नयन और एसएचजी सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी सहायता के माध्यम से मूल्य संवर्धन, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है। गाजियाबाद (यूपी), राजमुंदरी (आंध्र प्रदेश), खगड़िया और समस्तीपुर (बिहार) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ग्रामीण एसएचजी को स्वीकृत ऋण, यूनिटों के औपचारिकीकरण और प्रारंभिक पूंजी समर्थन के संबंध में जिला-वार विवरण अनुबंध में दिया गया हैं।

अनुबंध

लोकसभा में 23 जुलाई, 2026 को "सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के समक्ष चुनौतियाँ" पर पूछे गए प्रश्न संख्या 826 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ग्रामीण एसएचजी सदस्यों को स्वीकृत ऋण, औपचारिकीकृत इकाइयां एवं प्रारंभिक पूंजी की जिलावार संख्या

क्र.सं.	**जिले**	**स्वीकृत ऋण (संख्या)**	**इकाइयों का औपचारिकीकरण**	**ग्रामीण एसएचजी सदस्य को स्वीकृत प्रारंभिक पूंजी**
1.	गाज़ियाबाद	121	69	29
2.	हापुड़	86	40	0
3.	पूर्व गोदावरी	555	140	1286
4.	खगड़िया	527	102	394
5.	सहरसा	525	153	368
6.	समस्तीपुर	1619	259	650
7.	दरभंगा	1134	81	1385